कार्यवाही | कॉलोनाइजर और भूमि स्वामियों पर लगा 4 करोड़ का अर्थदंड

पहाड़ी के स्वरूप को परिवर्तित कर बनाई कॉलोनी

नवभारत, जबलपुर। रांझी तहसील के ग्राम भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन कर बिना अनुमति आवासीय कॉलोनी बनाने और खनिज (मिट्टी, मुरम, बोल्डर) का अवैध उपयोग करने पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कॉलोनाइजर अभिलाष तिवारी और भूमि स्वामी शोभना सिंह, मुकेश सिंह, महेश सिंह, नरेंद्र सिंह, रागिनी सिंह व रमेश सिंह पर कुल 4.08 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया।

कलेक्टर ने आदेश दिया कि तय समय में अर्थदंड न जमा होने पर आरआरसी जारी कर वसूली और तहसीलदार के माध्यम से कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

रॉयल्टी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी रांझी एवं जिला खनिज अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि बिना अनुमति उपयोग किए गए 13,600 घनमीटर खनिज पर 6.8 लाख रुपये की रॉयल्टी का 15 गुना (1.02 करोड़ रुपये) और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए 1.02 करोड़ रुपये, कुल 2.04 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें 1,000 रुपये का प्रशमन शुल्क भी शामिल है।

बिना रॉयल्टी जमा किए खनिज का किया उपयोग

जांच में पता चला कि कॉलोनी निर्माण के लिए समतलीकरण किया गया, लेकिन खनिज का उपयोग रॉयल्टी जमा किए बिना किया गया, जो मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2022 का उल्लंघन है। भूमि स्वामी नरेंद्र सिंह के पुत्र निशांत सिंह और कॉलोनाइजर अभिलाष तिवारी द्वारा 1,000 घनमीटर मुरम और 1,000 घनमीटर बोल्डर के अवैध भंडारण पर 50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इस आदेश के खिलाफ कमिश्नर न्यायालय में अपील हुई, लेकिन कमिश्नर ने कलेक्टर का आदेश यथावत रखा।

गूगल अर्थ डिजिटल इमेज से पुष्टि

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन कर कॉलोनी के विकास करने के इस प्रकरण कलेक्टर के आदेश में गूगल अर्थ डिजिटल इमेज का हवाला दिया गया। जिसमें बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का भौतिक स्वरूप पहाड़ीनुमा आकृति का था, जिसे वर्ष 2020, 2021 एवं वर्ष 2022 में परिवर्तित कर यहां निर्माण आदि की गतिविधियां की गई हैं।

मोनू हत्याकांड : चार और गिरफ्तार

जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत नूरानी गेट में घोड़े से दूर हटने की सलाह देने पर मोनू उर्फ मोहम्मद सादिल की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले फरार चार और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि चार आरोपी इसके पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे जिन्हें बुधवार को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया था विदित हो कि नयापुल मोतीनाला निवासी मोनू अपने साथियों सोहराब, बादशाह और अमन के साथ शादी-ब्याह में घोड़ा-बग्घी चलाने का काम करता था। शनिवार रात करीब 11 बजे नूरानी गेट के पास एक बारात में शामिल थे। इसी बीच घोड़े के पीछे खड़े जीशान को मोनू ने सुरक्षा के लिहाज से टोका कि पीछे मत खड़े हो, घोड़ा लात मार देगा। जीशान इस बात को लेकर आपा खो बैठा और देख लेने की धमकी देकर चला गया। जब मोनू और उसके साथी काम खत्म कर रात करीब 12:15 बजे घोड़ा वापस छोड़ने जा रहे थे तभी स्लाटर हाउस पास घात लगाए बैठें जीशान, शहबाज, गुलशेर, डी नौशाद, फरहान, याशीन, साकिर और तनवीर ने मोनू पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला हत्या कर दी थी। बचाने आए सोहराब पर भी हमला किया था।

रज्जाक का मामला चीफ जस्टिस की बेंच को रेफर

जबलपुर। अब्दुल रज्जाक के प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया। गुरूवार को मामले पर लंबी सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली ने बताया कि यह याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति की है। इस पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुने जाते हैं। इस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस आरसीएस बिसेन की युगलपीठ ने मामला चीफ जस्टिस की बेंच में भेज दिया। न्यायालय ने चीफ जस्टिस से निवेदन किया है कि इसे वरीयता से सुने क्योंकि इसमें सभी पक्ष किसी न किसी बहाने से लगातार स्थगन लेते रहे हैं। मामले पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सभी दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में वापस भेजने भी कहा।

इससे पूर्व हाईकोर्ट के निर्देश पर सीएसपी ओमती सोनू कुर्मी, टीआई ओमती राजपाल सिंह बघेल व अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित हुए। कोर्ट ने अधिकारियों से रज्जाक के खिलाफ दर्ज प्रकरणों के संबंध में लंबी पूछताछ की। हालांकि दो चरणों में सुनवाई के बाद आए मोड़ के कारण कोर्ट ने उक्त आदेश दिया। अब्दुल रज्जाक की ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है।

शराब सप्लाई टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बढ़ी

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने प्रदेश के 55 जिलों में शराब सप्लाई की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। न्यायालय ने जनहित याचिका की ग्राह्यता पर सवाल खड़ा किया। युगलपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि जनहित याचिका किस आधार पर ग्राह्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता न तो टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुआ है और न ही उसका इससे प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। दरअसल जबलपुर निवासी अधिवक्ता योगेन्द्र पटेल द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार की 26 फरवरी 2026 की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह फिक्स है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि जब याचिकाकर्ता स्वयं टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो यह जनहित याचिका किस आधार पर सुनवाई योग्य है।

बिना सामग्री मिले किया 93 लाख का भुगतान

▶ सीएमएचओ कार्यालय में फर्जी देयकों का खुलासा, स्टोर कीपर निलंबित

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने फर्जी देयकों के माध्यम से निजी फर्म को भुगतान मामले में दोषी पाए जाने पर स्टोर कीपर और फार्मासिस्ट नीरज कौरव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्व में गठित जांच दल ने पाया कि भोपाल की निजी कंपनी सिंह एंटरप्राइजेज को 12 फर्जी देयकों के माध्यम से साइनिज निर्माण और स्वास्थ्य केंद्र सामग्री के नाम पर 93,04,998 रुपये का भुगतान किया गया था,

जबकि भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए डायरेक्टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया है।

डॉ. सारिका को अस्थाई जिम्मेदारी

कलेक्टर ने एक अन्य आदेश में जिला चिकित्सालय की नोडल एनसीडी डॉ. सारिका को वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से जिला कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्व सौंपा है, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती। इसके अलावा निलंबन के दौरान नीरज कौरव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडम में तैनात किया गया है।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक और फार्मासिस्ट को हटाया

इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जवाहर लोधी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहोरा में पदस्थ किया गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव डायरेक्टर एनएचएम भोपाल को भेजा गया है।

जूडा का मोबाइल लूटा

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के समीप बीती रात हॉस्टल से अपने दोस्त के घर जा रहे एक जूनियर डॉक्टर को निशाना बना सफेद एक्टिवा पर सवार तीन नकाबपोश बदमाश उसका मोबाइल छीनकर रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मेहुल साकेत (18) मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल नंबर 4 में रहकर पढ़ाई करता है, बीती रात लगभग 10:10 बजे अपने साथी मयंक वर्मा के साथ पैदल ही मेडिकल से शास्त्रीनगर स्थित मयंक के घर जा रहा था। वे सड़क के उल्टी तरफ पैदल चल रहे थे और उसके हाथ में मोबाइल था। इसी दौरान पीछे से एक सफेद रंग की एक्टिवा पर सवार होकर तीन लड़के आए। एक्टिवा के बीच में बैठे युवक ने फुर्ती से मेहुल के हाथ से मोबाइल झपटा और तीनों तेजी से शास्त्रीनगर की ओर भाग निकले।

टीटीई को धमकी देना पड़ा भारी, आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर, नवभारत। ट्रेन में ड्यूटी के दौरान टीटीई को धमकी देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। रेल मदद से मिली शिकायत के बाद आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपी खुद को वेंडर बता रहा था, लेकिन जांच में उसकी सच्चाई सामने आ गई। घटना उस समय की है जब गाड़ी संख्या 20903 जयनगर बनारस सुपरफास्ट ट्रेन में टिकट जांच के दौरान टीटीई गुंजन कुमार एवं विकास कुमार ने एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति उलझ गया और खुद को अधिकृत वेंडर बताने लगा। जब उससे वैध अनुमति या

पहचान पत्र मांगा गया, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसी दौरान आरोपी ने टीटीई को देख लेने की धमकी दे डाली, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। टीटीई ने तुरंत इसकी सूचना आरपीएफ को दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि रेल मदद से शिकायत प्राप्त हुई की ट्रेन नंबर 20903 में एक व्यक्ति आन ड्यूटी टीटीई को धमका रहा है तथा अपने आप को वेंडर बता रहा है गाड़ी के जबलपुर स्टेशन पर आरक्षक रामनारायण यादव आरक्षक सुग्रीव सिंह द्वारा अटेंड किया गया जिसमें ऑन ड्यूटी टीटीई गुंजन कुमार एवं विकास द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति जो अपना नाम राजेश मेहरा बता रहा है धमका रहा की तुम्हे देख लेंगे जिसके उक्त व्यक्ति को स्टाफ की मदद से पोस्ट पर लेकर जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजेश मेहरा पिता मानसिंह मेहरा उम्र 50 वर्ष निवासी कांचघर पुलिस लाइन घमापुर जबलपुर बताया।

शुभचिंतक बनकर घूम रहे ठगों ने बुजुर्ग महिला से लूटा 50 हजार का मंगलसूत्र

नवभारत, जबलपुर। खितौला के रेलवे फाटक क्षेत्र में शुभचिंतक बनकर घूम रहे ठगों ने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को गला कटने का डर दिखाया और झांसे में लेकर करीब 50 हजार रुपये कीमत का सोने का मंगलसूत्र लेकर रफूचक्कर हो गए।

पुलिस ने बताया कि रेलवे फाटक के पास रहने वाली लक्ष्मी पटेल (60) अपने घर के सामने बने गाय के कोठे की साफ-सफाई कर रही थीं। जब वह गोबर और कचरा तगाड़ी में भरकर सड़क किनारे फेंकने पहुंची, तभी काले रंग की मोटरसाइकिल पर

सवार दो युवक उनके पास रुके। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को डराते हुए कहा, अम्मा, आपने गले में सोना पहना है, कोई गला काट देगा या झपट लेगा। इसे निकालकर घर के अंदर रख दो। महिला उनकी बातों में आ गई और गले से 8 सोने की गुरिया वाला मंगलसूत्र उतारकर हाथ में ले लिया। बदमाशों ने महिला की अंगूठी भी उतरवा ली। ठगों ने चालाकी से कहा कि मंगलसूत्र और अंगूठी दिखाओ। जैसे ही महिला ने गहने दिखाए, बाइक चालक ने उन्हें अपने हाथ में लिया और पलक झपकते ही मोटरसाइकिल चालू कर रेलवे फाटक की ओर भाग निकले। महिला जब तक कुछ समझ पाती, ठग आँखों से ओझल हो चुके थे। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

सिर में टोपी और मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे थे ठग-

पुलिस के अनुसार बाइक चालक शरीर से मोटा, सिर पर टोपी, मुंह पर मास्क और चौकड़ी (चेक) वाली फुल आस्तीन की शर्ट पहने था। पीछे बैठा युवक हल्की आसमानी और सफेद रंग की टी-शर्ट, सिर पर टोपी और मास्क लगाए हुए था। हुलिए के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही संदेहियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

ट्रैक्टर ने रौंदा, वृद्धा की मौत

जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से वृद्धा की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज से सूचना मिली कि श्रीमति मंजू लता नामदेव 60 वर्ष निवासी कटंगा कालोनी शिवाजी वार्ड पनागर को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया डॉक्टर ने परीक्षण उपरांत गुरूवार दोपहर लगभग 3-40 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि ट्रैक्टर की टक्कर से मंजू लता घायल हुई थी। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

वन स्टॉप सेंटर के बाहर हाई-वोल्टेज ड्रामा

नवभारत, जबलपुर। बेलबाग थाना क्षेत्र स्थित वन स्टॉप सेंटर के बाहर उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब सुलह के लिए आई एक महिला ने अपने ही पति और ससुराल पक्ष के साथ विवाद शुरू कर दिया। आवेश में आई महिला ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि सड़क पर पड़े भारी पेवर ब्लॉक मारकर कार के कांच फोड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी। पति के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, रीवा निवासी इमाम बक्स अपने छोटे भाई इस्लाम बक्स के वैवाहिक विवाद को सुलझाने के लिए जबलपुर आए थे। बेलबाग वन स्टॉप सेंटर में दोनों पक्षों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत चली। शाम करीब 4:30 बजे जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई और पक्षकार बाहर निकले, इस्लाम की पत्नी निशी अख्तर उग्र हो गई। अचानक विवाद शुरू कर दिया और सड़क किनारे पड़ा पेवर ब्लॉक उठाकर उनकी अर्टिका गाड़ी क्र एमपी 17 जेड जी 3505 पर दे मारा। हमले में कार का अगला कांच चकनाचूर हो गया। जब पीड़ित पक्ष ने वहां से निकलने की कोशिश की, तो महिला ने पीछे से फिर पत्थर बरसाए, जिससे पिछला कांच भी टूट गया। आरोप है कि पत्थरबाजी के बाद निशी ने अपने पति इस्लाम बक्स के साथ मारपीट की घटना के दौरान महिला चिल्लाते हुए धमकी दे रही थी कि जबलपुर से जिंदा नहीं निकल पाओगे। दहशत में आए पीड़ित पक्ष ने तत्काल ओमती थाने में शरण ली, जहां से उन्हें घटनास्थल के अधिकार क्षेत्र वाले बेलबाग थाने भेजा गया। इसके बाद बेलबाग पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

फैक्ट्री कर्मी के सूने घर में चोरों का धावा

सोने-चांदी के जेवरात ले गए चोर

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत जवाहर नगर में चोरों ने फैक्ट्री कर्मी के सूने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कौशल किशोर सिंह 57 वर्ष निवासी जवाहर नगर अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पनागर फैक्ट्री में काम करता है उसकी पत्नी बेटे के पास दिल्ली गई हैं। बुधवार रात लगभग 10 बजे ड्यूटी चला गया था। गुरूवार सुबह लगभग 7 बजे घर वापस आया देखा दरवाजे का ताला टूटा हुआ था अंदर जाकर देखा आलमारी का दरवाजा टूटा हुआ था आलमारी में रखे बैग में सोने का एक हार, चार अंगूठी, आठ नाक की लोंग, एक नथ, झुमका दो, एक लॉकेट, चांदी की करधन, चांदी के बर्तन, पायल सेट चार, दो मांग टीका नहीं थे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है।

बिजली कर्मचारियों का शक्तिभवन पर धरना, 16 को भोपाल में बड़े आंदोलन की चेतावनी

नवभारत, जबलपुर। म.प्र. बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तृतीय चरण में पूर्व क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ द्वारा शक्तिभवन मुख्यालय के पास एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी के सुंदरकाण्ड पाठ से हुई। अखिल भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार नायक ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए 11 सूत्रीय मांगों पर जोर दिया। इनमें संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्स

कर्मचारियों के लिए हरियाणा/उत्तरप्रदेश की तर्ज पर कंपनी गठन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन कोषालय से दिए जाने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 16 अप्रैल 2026 को राजधानी भोपाल में विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में कार्यवाहक अध्यक्ष उमाकांत मालवीय, उपाध्यक्ष सुशील कुमार मिश्रा, संयुक्त महामंत्री हरि सिंह मरावी, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री किशोरी लाल रैकवार, मीडिया प्रभारी राकेश रमन रैकवार, प्रदेश मंत्री अजय विश्वकर्मा, ओ.पी. यादव, सौरभ साहू, राहुल चंद्रालकर, लोकेश ठाकुर, दीपक पांडे सहित विजय जैन, अमर गावरकर, ए.के. नाहटकर, राजकुमार यादव, चांदन रैदास, दिनेश जाधव, रामशरण विश्वकर्मा, रोहित, अमर सिंह ठाकुर, वत्सला दीवान, ज्योति कुशवाहा, मनीय गद्रेवाल और रामचंद्र खत्री सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

लाला लाजपत राय वार्ड की जनसमस्याओं का किया जाए निराकरण

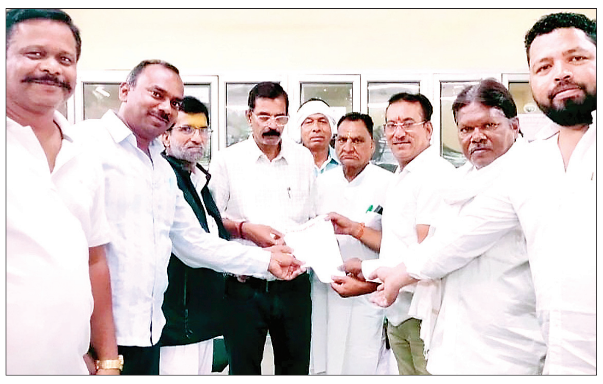

नवभारत, जबलपुर। रांझी खमरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा लाला लाजपत राय वार्ड की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर नगर निगम संभागायुक्त को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने संभागायुक्त से मुलाकात कर वार्ड की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।

पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र कुशवाहा ने बताया कि ज्ञापन में मुख्य रूप से वार्ड में व्याप्त गंदगी, सफाई व्यवस्था के पूर्णतः ठप्प होने, नालियों के जाम एवं बजबजाने की स्थिति का उल्लेख किया गया। वर्तमान हालात के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। साथ ही, क्षेत्र की अन्य नागरिक एवं जनसुरक्षा संबंधी समस्याओं को भी अवगत कराया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष वत्स, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष रविंद्र कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष राजू कनौजिया निर्मल जैन, जग्गू विश्वकर्मा मोहन सिंह, मनीष बेन, देवेंद्र लखेरा, जुम्मन सिंह, संतोष कुशवाहा एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे।

फरमान | नगर निगम के संभागीय अधिकारी का फरमान सुर्खियों में

बाबुओं को छोड़कर लैब टैक्नीशियनों को सौंपी जनगणना की जिम्मेदारी

लैब टैक्नीशियनों ने जताया विरोध

तो मेडिकल में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी ठप्प...

नवभारत, जबलपुर। जनगणना चार्ज अधिकारी संभाग क्रमांक 4 गोरखपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया आदेश इन दिनों नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लैब टैक्नीशियनों को हजम नहीं हो रहा है जिसका अब विरोध भी होने लगा है। नगर निगम संभागीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जनगणना 2027 का काम मेडिकल के बाबू नहीं बल्कि मरीजों के खून, पेशाब व अन्य जांच करने वाले कर्मचारी करेंगे। ये पहला मौका होगा कि बाबुओं की जगह लैब टैक्नीशियनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले बाबुओं की ही ड्यूटी जनगणना में लगाई जाती रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लैब में करीब 45 कर्मचारी हैं जिनमें से करीब 30 की एक साथ जनगणना में ड्यूटी लगाने के आदेश नगर निगम द्वारा जारी किए गए हैं। खबर तो ये भी है कि नगर निगम के संभागीय अधिकारी ने मेडिकल डीन से चर्चा किए बगैर तुगलकी फरमान जारी किया है।

जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में

करीब 150 बाबू कार्यरत हैं। जिनमें से एक बाबू की भी जनगणना में ड्यूटी नहीं लगाई गई है। इसके पहले भी जनगणना काम मेडिकल के बाबू ही करते आए हैं लेकिन इस बार बाबुओं को ड्यूटी से दूर रखने के आदेश को सभी हजम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मेडिकल के लैब के कर्मचारियों का कहना है कि यदि आदेश का पालन करते हैं तो मेडिकल में मरीजों की जांच का काम पूरी तरह से ठप्प हो जाएगा। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इस आदेश को संशोधित किया जाएगा या फिर मरीजों के स्वास्थ्य की रिस्क नगर निगम और मेडिकल प्रबंधन द्वारा ली जाएगी।

ये लिखा है आदेश में...

आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक एवं द्वितीय चरण 2027 तक संपन्न होना है जिसके लिए लोकसेवकों, कर्मचारियों को नियुक्ति किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ करेगा विरोध

मप्र लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने नवभारत को बताया कि नगर निगम के इस आदेश का विरोध किया जाएगा और मांग की जाएगी कि लैब टैक्नीशियनों की जगह मेडिकल के बाबुओं की ड्यूटी जनगणना में लगाई जाए। उन्होंने ये भी बताया कि अभी नगर निगम से जो आदेश जारी हुए हैं उसके मुताबिक खून, पेशाब की जांच करने वाले करीब 30 कर्मचारियों को जनगणना का कार्य सौंपा गया है जो कि गलत है। ऐसे में अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होंगी।